

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक/

सं० सं०-०५/उ० नि० (अंको०) ०३/२०१८-१९

पटना, दिनांक

प्रेषक,

संयुक्त उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,

जिला उद्योग केन्द्र, पटना/भोजपुर/बक्सर/सहरसा/मधेपुरा/गया/औरंगाबाद/सीवान/
लखीसराय/खगड़िया/जहानाबाद/वैशाली/मुजफ्फरपुर/प०चम्पारण(बेतिया)/पूर्वी चम्पारण
(मोतिहारी)/मुंगेर/पूर्णिया/कटिहार/भागलपुर/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय/
नालन्दा/रोहतास/सारण (छपरा)/नवादा।

विषय :

महालेखाकार कार्यालय/वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा निर्गत लंबित
निरीक्षण/अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय के पत्रांक 4639, दिनांक 19.12.18 द्वारा महालेखाकार
कार्यालय/वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा निर्गत लंबित निरीक्षण/अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं पर
निदेशालय स्तर पर समीक्षा के दौरान संबंधित महाप्रबंधक को लंबित निरीक्षण/अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका
का अनुपालन प्रतिवेदन अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। उक्त निदेश के
बावजूद भी अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित अंकेक्षण प्रतिवेदन/निरीक्षण प्रतिवेदन के लंबित कंडिका का
अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाया।

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

ज्ञापांक/

प्रतिलिपि :-उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23.11.18

ज्ञापांक 505/

प्रतिलिपि :-आई०टी०मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
प्रेषित।

23/11/18

संयुक्त उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

23.11.18